निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 माघ 1946 (श0)

संख्या 04 **पटना, बुधवार,**

22 जनवरी 2025 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**02-17**
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**18-18**
पूरक	---
पूरक-क	**19-20**

शिक्षा विभाग

———————

अधिसूचना

15 जनवरी 2025

सं0 15/एम 1–06/2017–225——बिहार राज्य के पटना जिलान्तर्गत दीघा घाट, पटना में निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय, दीघा घाट, पटना की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय जेवियर टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, दीघा घाट, पटना से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन मूल्यांकन / समीक्षोपरांत एवं राज्य सरकार के स्तर से विश्वविद्यालय स्थापना हेतु निर्गत किए गए आशय पत्र में निहित शर्तों के अनुपालन की सम्यक् जाँचोपरांत् बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 6 के तहत् जेवियर टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, दीघा घाट, पटना को बिहार राज्य के पटना जिलान्तर्गत निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय, दीघा घाट, पटना के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं इसके कार्य संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

यह विश्वविद्यालय जेवियर विश्वविद्यालय, दीघा घाट, पटना के नाम से निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं समान्य मुहर (सील) होगी। इसे चल और अचल दोनो प्रकार की संपत्ति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं इसपर वाद चलाया जा सकेगा।

यह विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

इस विश्वविद्यालय का संचालन पूर्णतः बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अमित कुमार पुष्पक, उप–सचिव।

———————

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

———————

अधिसूचनाएं

20 जनवरी 2025

सं0 1/प्रो.1–01/2023–100——श्री सुधीर कुमार यादव, सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, चन्द्रशेखर सिंह संग्रहालय, जमुई को अपने कार्यों के अतिरिक्त गया संग्रहालय, गया, नारद संग्रहालय, नवादा एवं बिहारशरीफ संग्रहालय, बिहारशरीफ का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. प्रस्ताव पर माननीय (उप मुख्य) मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
स्मिता कुमारी, अवर सचिव।

———————

18 दिसम्बर 2024

सं0 1/प्रो.1–01/2023/243——श्री सुधीर कुमार यादव, सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, चन्द्रशेखर सिंह संग्रहालय, जमुई को अपने कार्यों के अतिरिक्त बेगूसराय संग्रहालय, बेगूसराय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

2. प्रस्ताव पर माननीय (उप मुख्य) मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
सुशान्त कुमार, अवर सचिव।